

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4521
जिसका उत्तर बुधवार, 12 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है

“मंत्रालय में हिन्दी का प्रगामी कार्यान्वयन”

4521. डॉ. सत्यनारायण जटिया:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये प्रत्येक वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम एवं परामर्श एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा समीक्षा के बाद जारी निर्देशों के अनुरूप इस वर्ष तथा विगत तीन वर्षों में मंत्रालय एवं इससे संबद्ध उद्यमों में हिन्दी के प्रगामी कार्यान्वयन की स्थिति का उद्यम-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क): भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में दो विभाग नामतः भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग हैं। लोक उद्यम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उद्यम नहीं है। जहां तक, भारी उद्योग विभाग का संबंध है, उपलब्ध सूचना के अनुसार विभाग एवं इसके प्रमुख उद्यमों/संगठनों में इस वर्ष तथा विगत तीन वर्षों अर्थात् 2014, 2015 और 2016 में हिन्दी के प्रगामी कार्यान्वयन की स्थिति का उद्यम-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग): यह मंत्रालय तथा इससे संबद्ध उद्यम राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्दिष्ट लक्ष्यों और सलाहकार समिति एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं।

दि ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता										
2014	01.00	100	-	नहीं	-	60.00	80	0	12.00	71
2015	12.00	100	08.00	नहीं	4	100	100	3	13.00	54
2016	30.00	100	15.00	नहीं	4	100	100	4	56.00	54
चालू वर्ष (*)										
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली										
2014	74.73	100	50.00	हां	4	100	80	4	95	100
2015	74.47	100	50.00	हां	3	100	85	3	98	100
2016	72.67	100	50.00	हां	4	100	100	4	100	100
चालू वर्ष (*)										
एचएमटी लिमिटेड, बंगलुरु										
2014	06.66	100	40.00	हां	3	10	50	01	6	18
2015	08.66	100	30.00	हां	3	10	50	01	6	18
2016	10.66	100	40.00	हां	2	9	50	01	14	19
चालू वर्ष (*)										

*आंकड़े उपलब्ध नहीं।
